COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(28)

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 17 निगरानी R-1311-PBR-17

1 हुसैनी बानो पति युनुस खां एवं पुत्री कल्लू बेग
उम्र– 67 वर्ष, धंधा– कृषि,
निवासी– 235, दमदमा उज्जैन (म.प्र.)

2 नूरजहां पति हमीद खां एवं पुत्री कल्लू बेग,
उम्र– 64 वर्ष, धंधा– कृषि,
निवासी– 235, दमदमा उज्जैन (म.प्र.)

3 शाहजहां पिता कल्लू बेग, उम्र– 47 वर्ष,
धंधा– कृषि, निवासी–235, दमदमा उज्जैन (म.प्र.)
....................प्रार्थीगण

—विरूद्ध—

1 भारती शर्मा पति अरविंद शर्मा,
आयु– 57 वर्ष लगभग, धंधा– गृहकार्य,
निवासी– दमदमा उज्जैन (म.प्र.)

2 तनवीर बेग पिता स्व. दिलावर बेग,
उम्र– 42 वर्ष, धंधा– कृषि,
निवासी– 235, दमदमा उज्जैन (म.प्र.)
....................प्रतिप्रार्थीगण

विषय – न्यायालय तहसीलदार महोदय, तहसील उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 98/अ–6/14/15 में पारित आदेश दिनांक 25/03/2017 के विरूद्ध धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत निगरानी.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1311–पीबीआर / 17 जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–7–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 25.3.2017 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप उभय पक्ष अपने–अपने पक्ष में जो तथ्य रखना चाहते हैं, प्रस्तुत करें तत्पश्चात् औपचारिक प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात् अंतिम आदेश पारित किया जायेगा । अतः उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	